MOST URGENT

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

☎ 0141-2227177 ✉ pdengg_rdd@yahoo.com Website: rdprd.gov.in

क्रमांक एफ 27 (33)ग्राविवि–5/सां./Guidance/ 2018–19 जयपुर, दिनांक 4 मार्च, 2020

सचिव,
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत विशेष परियोजनाओं के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 03.10.19, अशा. पत्र दिनांक 09.01.20 एवं विभागीय पत्र दिनांक 07.02.2020

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन के फ्रेमवर्क (दिशा–निर्देश) के अध्याय–11 के अनुसार "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में दी गई प्राकृतिक आपदाएँ–बाढ़, भूकंप, आग आदि" के कारण उन परिवारों का पुनर्वास/पुर्नावंटन जिनके मकान पूरी तरह/आंशिक रूप से टूट–फूट गए हैं, के लिए विशेष परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का प्रावधान है।

उक्त संबंध में प्रांसगिक विभागीय पत्र दिनांक 3.10.19 द्वारा राज्य के 11 जिलों में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त आवासों के परिवारों जिनमें स्थायी प्रतिक्षा सूची में सूचीबद्व 816 परिवार एवं स्थायी प्रतिक्षा सूची में शामिल नहीं 4833 परिवार कुल 5649 परिवारों को लाभान्वित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये। इसी कम में अशा. पत्र दिनांक 09.01.20 एवं पत्र दिनांक 07.02.2020 द्वारा स्वीकृतियां जारी करने हेतु अनुरोध किया गया।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित पात्र परिवारों को विशेष परियोजना के तहत लाभान्वित किये जाने हेतु उक्तानुसार 5649 परिवारों के लिए विशेष परियोजना के तहत कुल परियोजना लागत राशि रूपये 6914.37 लाख प्राथमिकता से स्वीकृत कराने का श्रम करावें।

भवदीय,

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हे–

1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2 विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री एवं मा. मंत्री महोदय, ग्रावि एव पंरावि राजस्थान जयपुर।
3 वरिष्ठ उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4 निजी सचिव, अपर सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि. एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
6 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि, राजस्थान, जयपुर।
7 जिला कलक्टर, जिला समस्त।
8 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

C:\Users\user\Desktop\Nahar SI\MS Word\01-02-2020 letters.docx 38